फर्द अहकाम
(नियम 26)
अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम – भरतपुर
त्रिलोक बनाम सरकार
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी नम्बर 52 सन् 2021
(प्रकरण सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र गोवंश अधिनियम)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
25.5.22	प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। पैराकार सरकार उप0। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आश्य का पेश किया गया है कि प्रार्थी का वाहन ऑटो ट्रक जिसका रजि.न.आर. जे.14 / जी.एच.8198 इंजन नंबर 275आई.डी.आई.06 सी.वी.वाई.एस. 251617 चैसिस नंबर एम.ए.टी.445082 ई.वी.सी. 11985 है जिसका प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना सीकरी द्वारा जप्त कर रखा है। वाहन के रख रखाव की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है तथा वाहन का इंजन आदि खराब होने का अंदेशा है पुलिस थाना सीकरी को उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन के बिना प्रार्थी को काफी आर्थिक मानसिक व शारीरिक परेशानी हो रही है। प्रार्थी को वाहन सुपुर्दगी दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी एवं पुलिस थाना सीकरी से रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस थाना सीकरी से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी अपने उक्त वाहन को भाड़े पर चलाता है। प्रार्थी दिनांक 8.10.2021 को अकरम पुत्र नूरदीन मेव निवासी झांतली की दो गाय ग्रांम नेवली से भाड़े पर भरकर झांतली ले जा रहा था। पुलिस थाना सीकरी ने कस्वा सीकरी के पास पकड़ लिया था। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थी गौवंश की तस्करी नहीं करता है, अपने वाहन को किराये पर चलाता है। उस दिन भी भाड़े पर गायों को ले जा रहा था। प्रार्थी का वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है। खुले में खराब होने की आंशका है। प्रार्थी अपने परिवार का भरण पोषण उक्त वाहन को भाड़े पर चलाकर करता है। पुलिस थाना सीकरी को वाहन की आवश्यकता नहीं है। वाहन को प्रार्थी के सुपुर्दगी में दिया जावे। न्यायालय जो भी शर्त तैय करेगा प्रार्थी को स्वीकार होंगी। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई। पैरोकार सरकार का कथन है कि प्रार्थी का वाहन गौवंश तस्करी में लिप्त पाये जाने पर पकड़ा गया है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सीकरी जिला भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट पत्र क्रमांक 59 दिनांक 6.1.2022 का अवलोकन जाहिर आया कि अभियोग संख्या 451/21 दिनांक 8.10. 2021 धारा 5, 8 आरबीए एक्ट में वाहन न. रजि.न.आर.जे.14 / जी.एच.	

8198 को जप्त किया गया है, उन्होने अपनी रिपोट में यह भी अंकित किया है कि उसके वाहन स्वामी से तफतीस हो चुकि है, उक्त वाहन की प्रकरण में कोई आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है, कि यदि प्रार्थी सुपुर्दगार 2 लाख रुपये की सुपुर्दनामा 2 लाख का जमानतनामा इस आश्य का पेश करे कि वह वाहन को दौराने मुकदमा दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर स्वयं के खर्चे पर वाहन पेश करेगा, वाहन का रंग वगे. नहीं बदलेगा, पेश करें तो मुकदमा 451/21 धारा 5, 8 आरबी एक्ट मे जप्त वाहन टेम्पू रजि.न. आर.जे.14/जी.एच. 8198 को प्रार्थी त्रिलोक पुत्र चेतराम, जाति जाटव, निवासी घाटका का बास, थाना बडौदा मेव, जिला अलवर राज. की सुपुर्दगी में दिया जावे। प्रार्थना पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)